24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील प्रतिवादी द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रथम में जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावा बंद किया जाकर दावा आंशिक डिक्री किया गया इसके उपरांत प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति व बहस हेतु भी वकील प्रतिवादी ने कई अवसर लिये। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति स्वीकार होने के उपरांत तहसीलदार शाहपुरा से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने हेतु भी वकील प्रतिवादी को 5-6 अवसर दिये गये एवं हिदायत भी दी गई कि नियत तारीख पेशी पर आपत्ति पेश नहीं करने पर आपत्ति पेश करने का अवसर स्वतः बंद समझा जावेगा। इसके उपरांत वकील प्रतिवादी ने "पार्टी सम्पर्क में नहीं इसलिए NO Instruction" का अंकन किया, जिससे जाहिर होता है कि वकील प्रतिवादी "प्रकरण जो कि निर्णय के अन्तिम स्तर पर लंबित है" को जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्ण इरादे से देरी करने की गरज से देरी करना चाहते है।

अतः वकील प्रतिवादी का आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर बंद किया जाकर, कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से, एवं वकील वादी के कथन न्यायसंगत होने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। फैसला पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। फैसला शामिल पत्रावली हो। पत्रावली नियमित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :- 18 / 2020

जीसीएमएस संख्या :- 00030 / 2020

उनवान

1. मंजू चाहर पुत्री जगदीश चाहर जाति जाट, निवासी गोविन्दपुरा बासडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. काना पुत्र दूला
2. किशना पुत्र दूला
3. कजोड पुत्र रूघा

समस्त जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा बासडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

4. धीसी पुत्री रूघा पत्नी उँकारमल जाति जाट निवासी तिगरिया, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
5. धडकली पुत्री रूघा पत्नी मंगलचन्द जाति जाट, निवासी रतनपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
6. सीणगारी पुत्री रूघा पत्नी रूडाराम
7. सोनी देवी पुत्री रूघा पत्नी प्रभातमल

समस्त जाति जाट, निवासी रानीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

8. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
9. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
10. शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा तिगरिया, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :- 6/12/2024

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं0–5 के खसरा नंबर 774 / 0.32, 797 / 0.09, 798 / 0.09, 799 / 0.12, 799 / 1445 / 0.06,

सहायक कलक्टर

799 / 1446 / 0.18, 800 / 0.05, 801 / 0.07, 802 / 0.15, 803 / 0.03, 808 / 0.08, 809 / 0.06, 810 / 0.11, 811 / 0.04, 815 / 0.37, 854 / 0.30, 860 / 1436 / 0.06, 861 / 0.11 कुल किता–18 रकबा 2.29 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा बासडी, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादीया का हिस्सा 1 / 4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हाल नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा में वादीया अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी भी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर सहखातेदार काश्तकार है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नही हुआ है तथा उक्त आराजी मुतनाजा का कुछ हिस्सा विशेष उपजाऊ है इस कारण प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गई है और वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी लठैत व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी सं0–09 के कार्यालय में अन्तरण डीड पंजीबद्ध कराने तथा आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नही है तथा प्रतिवादीगण का ऐसा करना गलत एवं गैरकानूनी है। यहकि दिनांक–23.02.2020 को वादीया आराजी मुनाजा में खडी फसल की देखरेख कर रही थी तब प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर 5–7 अजनबी व्यक्तियो को लेकर आये ओर आराजी मुतनाज के विशिष्ट भू–भाग की नाप जोख करने लगे तब वादी ने उनसे नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण वादीया से नाराज हो गये तथा आवेश में आकर वादीया को एलानियां धमकी दी है कि वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को अजनबी व्यक्तियो को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण करवाकर आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिर्तन करवाकर रहेगे तथा अजनबी व्यक्ति का वादीया को जबरन बेदखल कर आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करवाकर रहेगे।

यहकि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो मे 'सफल हो गये और उन्होने आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग का अन्य अजनबी व्यवित्तयो को कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीया को आराजी मुनाजा से जबरन बेदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवा देगे तो इससे वादीया के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादीया को यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी का बंटवारा करवाने व उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

यहकि बिनाय दावा वाद पत्र के जिमन नं0–1 लगायत 4 में वर्णित प्रकार से आराजी मुतनाजा का सहखातेदारी की भूमि होना एवं शामिल में काश्त करना एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक–23.02.2020 को आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को अजनबी व्यक्ति को बेचान करने के लिए नाप जोख करना एवं वादीया द्वारा पूछने पर वादीया को आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध कराने तथा वादीया को जबरन बेदखल कर आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्तित का कब्जा कराने की धमकी दिये जाने से पेदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है। यहकि वादीया प्रश्नगत आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से बंटवारा करवाने की पूर्ण अधिकारी है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता सं0–5 के खसरा नंबर 774/0.32, 797/0.09, 798/0.09, 799/0.12, 799/1445/0.06, 799/1446/0.18, 800/0.05, 801/0.07, 802/0.15, 803/0.03, 808/0.08, 809/0.06, 810/0.11, 811/0.04, 815/0.37, 854/0.30, 860/1436/0.06, 861/0.11 कुल किता–18 रकबा 2.29 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा बासडी, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सरस नरस (बाई मिट्स एवं बाउण्डस) के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये कानूनी बंटवारा किये जाने की आज्ञा प्रदान करे तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक–पृथक लगान का निर्धारण किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित आराजी मुतनाजा में से वादीया के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बैजा मदाखलत न तो वे स्वयं करे न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, स्थानापन्न अथवा उत्तराधिकारियों से करावे जबकि वादी को शांति पूर्वक बिलाबेज एवं आबाद रहकर काश्त एवं उपयोग–उपभाग करने देवें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने दिनांक 25.02.2021 को अण्डरटेकिंग दी। दिनांक 21.04.2022 को वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्व में कई अवसर दिये जाने के उपरांत वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश नहीं करने से वकील प्रतिवादी का जवाब दावा बंद किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 बाद तामील एवं बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। मूल वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का होने से दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

आदेशित किया गया। प्रकरण में उपतहसीलदार अमरसर के पत्रांक / भू0अ0 / 2022 / 1956 दिनांक 05.07.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। वकील वादी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया गया। वकील उभयपक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस की गई। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट एवं प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर आता है कि कुर्रेजात रिपोर्ट मात्र पटवारी, भू0अ0नि0 द्वारा तैयार की गई है एवं उपतहसीलदार के भी प्रति हस्ताक्षर है जबकि न्यायालय द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर मौका नियुक्त किया गया था। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट खारीज की जाकर निर्देश दिये गये कि तहसीलदार शाहपुरा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर उभयपक्ष की मौजूदगी में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें। इस आशय का पत्र तहसीलदार शाहपुरा को जारी किया गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2443 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में दिनांक 25.07.2024 को अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु वकील प्रतिवादी को 5 से 6 अवसर प्रदान किये गये, इसके उपरांत वकील प्रतिवादी ने दिनांक 27.11.2024 को " पार्टी सम्पर्क में नहीं है इसलिए No Instruction" का अंकन आदेशिका पर किया गया। वकील वादी ने कथन किया कि प्रकरण में दो बार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है एवं आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश करने हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। वकील प्रतिवादी प्रकरण को दुर्भावनापूर्ण इरादे से देरीना करना चाहते है जबकि दावा निर्णय के अंतिम स्तर पर लबित है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में नो इन्स्ट्रक्शन के संबंध में आदेशिका पर आदेश पृथक से लिखा गया है। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वकील वादी के कथन न्यायसंगत होने से एवं कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता सं0–5 के खसरा नंबर 774 / 0.32, 797 / 0.09, 798 / 0.09, 799 / 0.12, 799 / 1445 / 0.06, 799 / 1446 / 0.18, 800 / 0.05, 801 / 0.07, 802 / 0.15, 803 / 0.03, 808 / 0.08,

809/0.06, 810/0.11, 811/0.04, 815/0.37, 854/0.30, 860/1436/0.06, 861/0.11 कुल किता–18 रकबा 2.29 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा बासडी, तहसीलशाहपुरा, जिला जयपुर राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. भूरी पत्नि स्व0 रूघा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार, मन्जू चाहर पुत्री जगदीश प्रसाद चाहर हि0 1/2 जाति जाट सा0 तिगरिया खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 774 रकबा 0.32 है0, 815 रकबा 0.37 है0, 810 रकबा 0.11 है0, 811 रकबा 0.04 है0, 861 रकबा 0.11 है0, 854/1 रकबा 0.1950 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.1450 है0 भूमि रहेगी।
2. काना पुत्र दुला हि0 1/2 राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा तिगरिया, किशना पुत्र दुला हि0 1/2 राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा तिगरिया जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 797 रकबा 0.09 है0, 798 रकबा 0.09 है0, 799 रकबा 0.12 है0, 799/1445 रकबा 0.06 है0, 799/1446 रकबा 0.18 है0, 800 रकबा 0.05 है0, 802 रकबा 0.15 है0, 803 रकबा 0.03 है0, 801 रकबा 0.07 है0, 808 रकबा 0.08 है0, 809 रकबा 0.06 है0, 854/2 रकबा 0.1050 है0, 860/1436 रकबा 0.06 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 1.1450 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 6/12/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 18/2020

जीसीएमएस संख्या :– 00030/2020

उनवान

1. मंजू चाहर पुत्री जगदीश चाहर जाति जाट, निवासी गोविन्दपुरा बासडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. काना पुत्र दूला
2. किशना पुत्र दूला
3. कजोड पुत्र रूघा

समस्त जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा बासडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

4. घीसी पुत्री रूघा पत्नी उँकारमल जाति जाट निवासी तिगरिया, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
5. धडकली पुत्री रूघा पत्नी मंगलचन्द जाति जाट, निवासी रतनपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
6. सीणगारी पुत्री रूघा पत्नी रूडाराम
7. सोनी देवी पुत्री रूघा पत्नी प्रभातमल

समस्त जाति जाट, निवासी रानीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

8. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
9. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
10. शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा तिगरिया, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 6/12/24

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सं0–5 के खसरा नंबर 774/0.32, 797/0.09, 798/0.09, 799/0.12, 799/1445/0.06, 799/1446/0.18, 800/0.05, 801/0.07, 802/0.15, 803/0.03, 808/0.08, 809/0.06, 810/0.11, 811/0.04, 815/0.37, 854/0.30, 860/1436/0.06, 861/0.11 कुल किता–18 रकबा 2.29 है0 वाकै ग्राम गोविन्दपुरा बासडी, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. भूरी पत्नि स्व0 रूघा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार, मन्जू चाहर पुत्री जगदीश प्रसाद चाहर हि0 1/2 जाति जाट सा0 तिगरिया खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 774 रकबा 0.32 है0, 815 रकबा 0.37 है0, 810 रकबा 0.11 है0, 811 रकबा 0.04 है0, 861 रकबा 0.11 है0, 854/1 रकबा 0.1950 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.1450 है0 भूमि रहेगी।
2. काना पुत्र दुला हि0 1/2 राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा तिगरिया, किशना पुत्र दुला हि0 1/2 राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा तिगरिया जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 797 रकबा 0.09 है0, 798 रकबा 0.09 है0, 799 रकबा 0.12 है0, 799/1445 रकबा 0.06 है0, 799/1446 रकबा 0.18 है0, 800 रकबा 0.05 है0, 802 रकबा 0.15 है0, 803 रकबा 0.03 है0, 801 रकबा 0.07 है0, 808 रकबा 0.08 है0, 809 रकबा 0.06 है0, 854/2 रकबा 0.1050 है0, 860/1436 रकबा 0.06 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 1.1450 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक--दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 6/12/24 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जिला-जयपुर), ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.